

[श्री नवल किशोर वर्मा]

नहीं बदलगे तबतक कर्जा नहीं मिल सकता है ।

श्रीमति सुशीला रोहटगी हमने पहले भी ध्यान में रखा था और आगे भी रखेंगे । राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वह आपके विचार में सफल नहीं हो रहे हैं लेकिन हमारे विचार में सफल रहे हैं । यह बात अवश्य है कि उनमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है । (ध्वनि)

मैं मंत्रिमंशे जी में कहना चाहती हूँ कि मेने बड़ा शांति से आपकी बात सुनी है । मेने कहा है जबतक इसका खडन नहीं होना, जब तक मुझे इसकी जानकारी न हो तबतक मैं कुछ बहानों की प्रोजेक्शन में नहीं हूँ । अवश्य इस बात की जानकारी होनी चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a lady appeals for sweetness, you must respond.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Thank you, Sir. I am sure he will respond.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है उसपर मैं विशेष बल देना चाहती हूँ । अभी तक जो दिक्कत रही है सेक्योरिटी की, मार्गेंज की उसको हटाने के लिए यह बिल आया है । आपकी और हमारी राय में किसी तरह की भिन्नता नहीं है, जो आपके विचार है वही हमारे विचार है । इसलिए जो आपने कहा है, अगर आज यह हो जाता है जो सेक्योरिटी की आवश्यकता होती है जिससे लीगल कठिनाइया उत्पन्न होती है उनका आसानी से समाधान कर सकेंगे और जो गरीब हैं चाहे वह संघाल हों या आदिवासी हों, गरीब की कोई धमक से बैंक नहीं होती, वह

गरीब चाहे किसी भी प्रदेश का हों, उनके पास जमीन है या नहीं या जो लैंडलेस नेदरर है उसको सारी रिफाइनेन्स की फेसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए । इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ । मार्गेंज को हटाने और सेक्योरिटी को रिनिश्म, लिक्विडिटी करने के लिए यह बिल आया है ।

दूसरी सारी बात जो है उनके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है इसलिए मैं समझती हूँ इस बिल का पूरी तरह से जॉइदार समर्थन होगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

14 35 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL), 1973-74

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up Supplementary Demands for Grants (General).

DEMANDS No. 11—FOREIGN TRADES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,28,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 74,00,00,000 on Capital Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of 'Foreign Trades'."

*Moved, subject to the recommendation of the President.

Demand No. 28—Ministry of External Affairs

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,50,00,000 on Capital Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1974, in respect of 'Ministry of External Affairs'."

Demand No. 35—Currency, Coinage and Mint

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,26,60,000 on Capital Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1974, in respect of 'Currency, Coinage and Mint'."

Demand No. 38—Transfers to State and Union Territory Governments

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved.

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 40,00,00,000 on Revenue Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Transfers in State and Union Territory Governments'."

Demand No. 39—Other Expenditure of the Ministry of Finance

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 on Revenue Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of

'Other Expenditure of the Ministry of Finance'."

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under these Supplementary Demands for Grants, a certain Grant is sought to be sanctioned by Parliament under the Head "Drought and Famine". It says that due to drought and famine conditions in our country, the Central Government needs to give assistance, grants and loans, to the States and, therefore, more money is needed, say, about Rs. 100 crores. I support it. But, at the same time, I must say that the relief work which is being carried out, particularly, in our State during this drought and famine period is completely unsatisfactory. Only the granting of money will not serve the purpose to fight against drought and famine conditions.

I think, the Government must take more concrete steps to develop irrigation projects. In some States, it may not be possible to construct big irrigation projects. But some medium or small type of irrigation projects should be started there. I have already given a suggestion to the Irrigation and Power Minister that in the tribal belts of our State, there are small rivulets and, by constructing *bundhs* the water can be preserved and the peasants can be supplied that water for irrigation purposes. But for the last 25 years, this Government has neglected that aspect. They should pay more attention to that.

Secondly, about Labour and Employment, item No. 67, I want to draw the attention of the Government to one thing. In Tripura State, we have got about 55 tea gardens. All these tea gardens are sick tea gardens and, due to financial difficulties, the tea-garden owners are not running the tea gardens. Now, this is the cropping season. But most of the tea-gardens cannot continue their work. They have stopped their work. As a result of that, the

[Shri Dasaratha Deb]

tea garden labourers are suffering very much. They do not get any earning at all. This is the season when the tea-garden area is very busy. It is very unfortunate that in Tripura State, these tea gardens are not being run well. They have become perfectly defunct. They are not working at all. Therefore, I would request the Government to see that all these tea gardens are taken over by the Government. They should try to run sick tea gardens from now on. By this, tea industry can be saved and also the tea workers can be saved.

Another point is about compensation to be paid to those peasantry whose property, the lands, has been damaged during the Bangladesh war. Their cultivable lands are being used by the military for trains and other things. Most of the peasantry have still not got compensation for the damage caused to their lands. Many times I have drawn the attention of the Defence Minister also to this aspect. Always I get the reply, and these people also get the reply, that proper attention is being paid, that compensation will be paid in due course, that it is under 'active consideration will go on and how long it will take to implement, I do not understand. Sufficient damage has been caused to those people, and the peasantry must be given compensation immediately.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a natural calamity.

SHRI DASARATHA DEB: Another point is regarding Bangladesh trade. Of course, we must develop our trade with Bangladesh, we must keep our friendship with Bangladesh and we should help them as far as possible. I want to draw the attention of the Government to the fact that there is a tremendous feeling in Bangladesh, particularly among the people, that the cloth which is being

supplied to Bangladesh like lungis is sub-standard. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Deb please convince me how these things come in the Supplementary Demands...

SHRI DASARATHA DEB. There is a mention about Bangladesh...

MR DEPUTY SPEAKER: There is nothing like Bangladesh trade agreement. There is only a mention of Bangladesh with regard to certain amount of money to be given to them and that is to buy two ships from the Shipping Corporation of India. Why do you go into the whole gamut of Bangladesh trade.

SHRI DESARATHA DEB: Standard things should be supplied to them, so that they have a good impression about us.

MR DEPUTY-SPEAKER: But it should be within the limits of the debate. This is outside the scope of the Demands.

SHRI DASARATHA DEB. Secondly, while fighting against the natural calamities, during floods and drought periods, the Tripura State, the isolated pocket, has suffered due to transportation bottleneck. Whatever quota of rice or wheat has been allotted by the Central Government could not reach there in proper time and due to that, most of the ration shops were to remain closed for some time there and people were starving. I have said many times in this House that more than 400 persons died of starvations during April-May-June in Tripura State; that was because these things could not reach there in time. That is why I have been asking the Government time and again that they should at least open a railway line from Dharmanagar to Agartala. I was told that some engineering survey had been made. When this would be taken up finally, when the actual construction will be started in respect of the railway line from

Dharmanagar to Agartala, I would like to from the Government. We cannot say that natural calamity will not visit Tripura again. It may visit at any time. To fight against that eventuality we should be prepared. Apart from this, if you want to start a certain industry in this region, there must be this railway line available.

Regarding electricity also I want to say something. I was told that some negotiation has been made with Bangladesh regarding electricity. I do not know what is the position now. If that agreement is reached and if it is settled finally, then, I think we may get electricity; Tripura State can use that electricity very easily.

I would request the Government to consider the various points that I have put forward now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Dasaratha Deb started off very well, but soon after he went off the rails. I do not say that the points he made were not relevant but they were outside the scope of the debate.

May I remind the members about the scope of the debate on Supplementary Demands? Rule 218 reads as follows:

"The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised... (Interruptions)

Not Railways, not electricity, not Bangladesh trade. If you say that our supply of cloth to Bangladesh comes within this, then I have to be re-educated

I was reading out rule 218:

"...and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

Kindly keep to this. Mr. Naik, I hope you will cooperate.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): I will try to confine myself entirely to the matter of fiscal assistance.

There are some States in the country which are chronically getting over drafts. One of the States, unfortunately, happens to be my own native State of Mysore. We were told that there has been a liberal amount of assistance in respect of the drought. The Central Government, for the first time, has gone out of the way and has liberally financed, but, at the same time, many of the recipient States in this country, particularly, in respect of drought relief which is in the nature of a calamity, like the States of Maharashtra and Andhra Pradesh because of their fortuitous circumstances in which they are situated never suffered from any budgetary deficit. But if the State of Mysore which has been a chronically deficit budget State and if the same rule is made applicable for the deficit States as well as the surplus States in the country, then it will have a ruinous effect on the economy of State and the State Government.

I am aware of the fact that tremendous efforts are being made to streamline the administration of the State of Mysore and to that extent, the present Chief Minister has to be very substantially congratulated. But, still there has been a legacy of the past. Under these circumstances, the Mysore Government has been requesting very consistently to treat this loan given for the purpose of drought relief—25 per cent in the form of non-refundable loan, as grant. At present the State Government is asked to contribute 25 per cent and 25 per cent of Rs. 70 to 80 crores works out to a substantial figure of Rs. 15 to 20 crores. It is not within the capacity of a deficit State like Mysore, I am not pleading in a parochial manner only in regard to Mysore. I am saying it in respect of all deficit States that unless liberal sanction of funds is made available, it would be difficult.

Similarly, with regard to food, there has been a substantial amount of

[Shri B. V. Naik]

subsidy which goes in the form of controlled food. In the circumstances, I will plead for the equitable distribution of food that is available from the central pool. In this behalf, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the discussion that took place that since we are going to import substantial quantities which will have to be from abroad and that too against scarce foreign exchange, it would have to be budgeted quite in good time ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: How can it come here?

SHRI B. V. NAIK: For that also, a budgetary provision has to be made if not to-day at least in due course of time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was what I was trying to point out a little while ago

SHRI B. V. NAIK: Since the Chair has been kind enough to allow Mr. Deb who spoke about his railway line, only one sentence....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I expect you to set a better example.

SHRI B. V. NAIK: I will refer it to it very briefly.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Brief in irrelevance?

SHRI B. V. NAIK: Sir, the entire west coast of 800 km. does not have an inch of a railway line. I am coming from an area where we do not have any air service, no coastal shipping or railway line. The hon. Minister was good enough to say about removing regional imbalance and development of backward areas. Here is a striking example of the entire west coast covering a population of nearly 5 million people, completely neglected.

That has gone without a railwayline in the course of the last 110 years, that is, from 1848. So, I plead that this

should be given priority beyond this techno-feasibility survey etc., the phraseology, under which it hides.

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) . उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सी चीज कहना चाहता था और सरकार की काफ़ी कड़ी आलोचना भी करना चाहता था। लेकिन सुशीला रोहतगी जी बँठी हुई हैं और कल रक्षा वन्दन भी है। मैं कड़ी आलोचना नहीं करूँगा। कहीं भार्ड बहन के रिश्ते पर कोई आचन आ जाए। मैं अपने आपको सीमित रखूँगा --

MR. DEPUTY-SPEAKER: Especially when you come from the same city.

SHRI S. M. BANERJEE: From the same locality also.

नव में गज़ने म मूखा प्राय वाड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

A provision of Rs 100 crores was made for assistance to the States.

चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो एक कारण इसका बताया जाता है वह सूखा और बाढ़ बताया जाता है। इसके अलावा डिफिसिट फाइनेंसिंग और डिबेलिंग इकॉनोमी आदि इसके कारण बताए जाते हैं। आप प्रदेशों की बाढ़ों और सूखे से निपटने के लिए सहायता भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आप कितनी सहायता करने जा रहे हैं और दूसरे प्रान्त जो हैं उनकी कितनी सहायता करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाढ़ की हालत बहुत खराब है। हमारे माननीय मंत्री ने भी इस प्रश्न को आज उठाया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को आप कितना रुपया बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए देने जा रहे हैं और कितना दे चुके हैं तथा दूसरे प्रान्तों में बाढ़ की वजह से लोग आतंकित हैं, परेशान हैं, वहाँ कितनी सहायता दे चुके

हैं या देने जा रहे हैं। प्राप फूड एयर ड्राप कर रहे हैं, प्लैज से गिरा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ बाढ़ है जैसे कामर, के इलाके में। पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह से बाढ़ ग्रस्त है। इन सब प्रान्तों तथा दूसरे प्रान्तों को जैसे बिहार है आप कितना पैसा दे चुके हैं और कितना देने की योजना है? मैं चाहूँगा कि आप मुक्त हस्त से उनकी सहायता करें। दाम जो बढ़ रहे हैं उससे सारा देश परेशान है। आपने देखा होगा कि जखीराबाजों के खिलाफ, चोर बाजारी करने वालों के खिलाफ हम लोगों ने एक आन्दोलन खड़ा कर रखा है पूरे हिन्दुस्तान में। किसी किसी प्रान्त में इसको सफलता भी मिली है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि लगभग नब्बे हजार क्विंटल गेहूँ मिला है। बिहार में, कलकत्ते में भी बाढ़ की वजह से पैदावार में कमी हुई है या होने वाली है। हम को दामों को किसी न किसी तरीके से सीमित रखना पड़ेगा। कलकत्ता शहर में युवकों ने सी पी आई के वालेटीयर्स ने, छात्रों ने, यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने हिम्मत की कि चीजों के दाम गिराए जाएं . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, under what Demand does that come?

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, distribution of foodgrains to those who are affected by drought and floods also comes under this Demand.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are very ingenious.

श्री एस० एम० बनर्जी वहाँ उन लोगों ने सरसों के तेल और मसूर की दाल निकाल कर उसके दाम निर्धारित कर दिए। सरसों के तेल के दाम साढ़े मात रुपये के बजाय 4 रुपये 75 पैसे और मसूर की दाल के 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलो से घटा कर 1 रुपया 75 पैसे

कर दिए गए। इसको लोगों ने मान लिया। लेकिन मुझे ताजुब होता है कि वहाँ के चैम्बर ऑफ कामर्स के कहने पर वहाँ के मुख्य मंत्री ने जो प्रगतिशील अपने आपको कहते हैं, समाजवादी कहते हैं खुद ब्लैक मार्केट प्राइस जो साढ़े सात रुपये और 2 रुपये 20 पैसे भी सरसों के तेल और मसूर की दाल की, उसको लीगलाइज कर दिया और कहा कि इन दामों पर इनको बेचा जाए। देश में बाढ़ और सूखा है। हमें भ्रष्ट की जरूरत है। भ्रष्ट कोई आकाश से तो आएगा नहीं। अमरीका के मोहताज हम रहना नहीं चाहते। आखिर भ्रष्ट आएगा कहा से? क्या वाकई में भ्रष्ट का सकट है या लोगों ने भ्रष्ट का सकट बना रखा है? मंत्री जी इस सब की जानकारी हमें उत्तर में दें।

मैं अब डिमांड नम्बर 30 पर आता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि आपके पास कोई सड़ा हुआ नोट है या नहीं, सड़े हुए 1, 2 और 5 रुपये के नोट आपको दिखाई देते हैं या नहीं लेकिन मेरी जब में अब भी पांच रुपये का एक सड़ा हुआ नोट है, जिसको यह समझिये कि इस एयर कंडिशन हाल से बाहर में ले जाऊँ और मुझे पसीना आ जाए कोई नहीं लेगा और इसका हलवा बन जाएगा। ऐसी हालत उसकी है। क्या सरकार ऐसी चीजों में ही खर्च में कमी कर रही है कि नए नोट न छापे जाए? डिमानेटाइजेशन वह करना नहीं चाहती क्योंकि उसका खयाल है कि सकट पैदा हो जाएगा। इस तरह के नोटों को न टैक्सी वाला लेता है और न कोई दूसरा। क्या वानई में एच. दो और पांच रुपये के नए नोट छपने बन्द हो गए हैं। इसी तरह में नागज की भी भारत में कमी है . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: These recondite arguments thoroughly before me. Where is the relevancy and consistency? All right, carry on within your time.

SHRI S. M. BANERJEE: The heading is 'Currency, Coinage and Mint'.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is the heading. But the proposal there is different. Under 'Currency', you are talking about printing of notes and all that sort of thing.

SHRI S. M. BANERJEE: Two-rupee and ten-rupee notes are currency.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This has a special purpose.

SHRI S. M. BANERJEE: Then I would like to speak on Demand No. 87—Labour and Employment. It is stated therein:

"The National Industrial Tribunal had been set up in February, 1969 for adjudication of disputes between the LIC and their employees. As no government accommodation was available, a private building was taken on hire and it remained in occupation of the Tribunal during the period from 14th December, 1969 to 9th March, 1972".

इसके बारे में इतना ही बहना है कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन के कर्मचारियों को क्वार्टर मिले? क्या वे ग्राम-लागो को हमेशा लोन ही दिया करेंगे और बर्हा करेंगे कि तुम मकान बना लो और हम फूटपाथ की हवा ही खाएंगे? यह समझ में नहीं आता है। इसके बारे में आपके पास क्या कोई स्कीम है या नहीं है? सुशीला जी लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन तथा जनरल इनश्योरेंस दानों की डिप्टी मिनिसटर हैं, ये दोनों महकम उनके मातहत हैं। काफी लोगों की मदद इन डिपार्टमेंट्स के जरिये की जा रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का इंतजाम भी हो। मार हिन्दुस्तान में केवल एक दो परसेंट कर्मचारियों के पास भी क्वार्टर नहीं हैं। जोनल मैनेजर क्वार्टर में जरूर रह सकते हैं लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनके वास्ते क्वार्टर नहीं हैं। लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन बहुत बिल्डिंग बना रही है, जगह जगह हिन्दुस्तान में गगनचुम्बी बिल्डिंग बनती चली जा रही है। उपाध्यक्ष

महोदय, मैं टोपी नहीं पहनता इस वास्ते कि अगर उन बिल्डिंग के ऊपर की तरफ मैं देखूंगा तो कहीं टोपी गिर न जाए। इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग कारपोरेशन बना रही है। लेकिन उन में इम्प्लायीज नहीं रह सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने एवाइड किया था, उसको आप न मानें। लेकिन कम से कम क्वार्टरों का इंतजाम तो होना चाहिये। ऐसा डर भी है कि जनरल इनश्योरेंस का मामला भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास न चला जाए। जनरल इनश्योरेंस के लोग मबरानी कमेटी की रिपोर्ट से परेशान हैं। उनकी मांग है कि उसको बदला जाए। मझे खुशी है कि आज उनके साथ नैगोशियेशन चल रही है। उसी तरह से लाइफ इनश्योरेंस के एम्प्लायीज, लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन की जो फंडेशन बनी हुई है, वे भी बोनस के इशू पर, डी ए के इशू पर आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डी ए के कट की रेस्टोर किया जाए और बोनस कम से कम दस परसेंट बढ़ाया जाए। मैं चाहता हू कि उनकी इस मांग पर भी आपको सहानुभूति से विचार करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मझे इन विषयों का उठाने का मौका दिया और मंत्री महादया से प्रायना करता हू कि वह इन पर अपने उत्तर में अवश्य प्रकाश डालें।

15 hrs

SHRI B R SHUKLA (Bahraich): Mr Deputy-Speaker, Sir, it is very difficult to be strictly relevant within the limited scope of the supplementary demands for grants on the budget for 1973-74. In fact, this budget has come a little earlier. It should come after the Pay Commission's report—

MR DEPUTY-SPEAKER: It is not a budget. It is only the supplementary demands for grants.

SHRI B. R. SHUKLA: The supplementary demands should have been a little delayed, because it should have come after the discussion of the report of the Pay Commission; because there would be an occasion for more supplementary demands for meeting the expenditure which is likely to be incurred on account of the enhanced pay of the employees.

Now, I certainly welcome—

श्री मधु लिमये (बांका) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का महा मझे बहुत जचा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभी तक पे कमीशन की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं किया है और फैसला करने के बाद सरकार का इस के लिए बजट में कुछ तो प्रावधान करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप की इजाजत से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांगों पर बहस को स्थगित रखा जाये।

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr Madhu Limaye, you have intervened and you have made a very dexterous move, and I request Mr. Shukla and others to be very careful when Mr Madhu Limaye is in the House.

SHRI B. R. SHUKLA: As I submitted my inability to very strictly confine to the scope of the debate, I venture to put forth my views on collateral matters

I certainly, without welcoming the proposals contained in the supplementary demands, extent my full support to the demands because these are very necessary demands, and without the passing of these demands, the function of the Government cannot be carried out

As regards the aid to Bangladesh,—we find it in the Demands for the Ministry of External Affairs—I fully support it, because we have made a commitment to help and rehabilitate the shattered economy of that country. Therefore, there should not be any voice of dissent so far as that demand is concerned.

One thing more. We have got ample time and the number of speakers is very limited

MR DEPUTY-SPEAKER: No, no. I have got quite a number of them.

SHRI B. R. SHUKLA: I would have certainly expected from the Government that there should not be any cut in the expenditure on account of the grants to the programme for rural unemployment. I hear from various quarters, and I want to be assured by the Government that the scheme for the crash programme initiated for the removal of rural unemployment started in the year 1971 and going on up till now will not be scrapped. Otherwise, this would be a major catastrophe and calamity and it would throw out of employment many persons who were promised at least a minimum deal by the Government

With these few words, I again extend my support to the proposals of the Government

ड० श्री नारायण पांडेय (मंडसौर) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मन्त्रालयों के सम्बन्ध में 132.05 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इन मांगों के विवरण को देखने से पता लगता है कि सरकार ने कुछ मांगें तो इस प्रकार की हैं, जिन के बारे में बहुत पहले सोचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने इस और पहले ध्यान न देकर आज ये अनुपूरक मांगें इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं। मैं सभी मांगों के विस्तार में न जा कर कुछ मांगों के बारे में ही उल्लेख करूँगा।

जहाँ तक विदेश व्यापार मन्त्रालय का सम्बन्ध है, जो कि अब व्यापार मन्त्रालय है, सरकार है द्वारा तीव्र एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए मार्च, 1973 में 45.11 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान

[डा० बक्ष्मीनारायण पाडेव]

लिया गया था। अब सरकार ने उस के लिए 75.28 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की मांग की है। यह मेला जनवरी, 1973 में समाप्त हो गया था और इस लिए यह मांग बहुत पहले की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंत्रालय को इस बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

मेले में रोड्ज, बिजली और विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में लाखों रुपये की हानि हुई। उस में काफ़ी बचत की जा सकती थी। मैं इस समय बहुत विवरण में तो नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यद्यपि विज्ञापन के बारे में सरकार की अपनी एजेन्सी और स्रोत हैं, लेकिन उन को विज्ञापन न दे कर प्राईवेट एजेन्सी को दिये गये, जिस से सरकार के लाखों रुपये निरर्थक खर्च हुए। इस बारे में भी सरकार को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

मांग संख्या 38 के अन्तर्गत देश में व्यापक सूखे और बाढ़ के कारण राज्यों की सहायता देने के लिए अनपूरक अनुदान की मांग की गई है। आज देश भर में बाढ़ का प्रकोप है। जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश और विहार आदि राज्यों में बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। चारों ओर वनाश-लीला हो रही है और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काफ़ी सहायता की आवश्यकता है। सरकार ने चालू वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी और अब उसने 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की मांग की है।

यह ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूखे

और अकाल की स्थिति के समय जो राहत कार्य चल रहे थे, वर्षा के प्रारम्भ होने के साथ केन्द्र द्वारा अपने अनुदान बन्द करने के कारण उनमें से बहुत से राहत कार्य बन्द हो गये हैं। अगर कहीं किसी तालाब के निर्माण का कार्य चल रहा था, तो जब केन्द्रीय सरकार ने अपनी मदद बन्द कर दी, तो राज्य सरकार ने भी अपना हाथ खींच लिया और इस अवस्था में वह निर्माण-कार्य बन्द कर देना पड़ा। इन राहत कार्यों के बन्द होने से अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि शबुआ, निमाड़, धार और वस्तर में जो राहत कार्य चल रहे थे, केन्द्र द्वारा अपनी सहायता बन्द किये जाने से वे कार्य बन्द हो गये हैं और उन क्षेत्रों के लोगों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। इस लिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में फिर से विचार करे, ताकि जो लोग भुखमरी और बेकारी के शिकार हो रहे हैं, उन को राहत मिल सके और सरकार जो 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि लेना चाहती है, वह उपयोगी सिद्ध हो सके।

जहां तक सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता का सम्बन्ध है, आज के नवभारत टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। सरकारी सहायता का किस हद तक दुरुपयोग होता है उस का यह एक उदाहरण मात्र है। सरकार इस से सबक ले। समाचार इस प्रकार है :—

“न कोई बाढ़ आयी, न सूखा पड़ा। मदद का गेहूँ चोर बाजार में बेचा गया। मुजफ्फरपुर, 12 अगस्त। बाढ़ एवं सूखा पीड़ितों की सहायता के नाम पर

सरकार से गेहूँ प्राप्त कर चोर बाजार में बेचने का सनसनीपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है, जब कि उस क्षेत्र में न बाढ़ का प्रकोप हुआ और न ही सूखा था। ... कहा जाता है कि बोरो विकास प्रखण्ड के कुछ अधिकाधिकारियों ने बड़े व्यापारियों एवं अधिकाधिकारियों से मिल कर प्रखण्ड के डूमरी, ग्यासपुर, फ़तेहाबाद आदि पाच पचासतों के इलाकों को पहले कागज़। में सूखाग्रस्त दिखाया और बाद में बाढ़-ग्रस्त।

पहले इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए सूखा से पीड़ित होने के नाम सहायता की योजना की गई। सरकार ने उदारतापूर्वक खाद्यान्न की मदद की और गेहूँ के बोरे के बोरे भेजे। फिर बाद में इसी क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित बता कर गेहूँ माग लिया गया, जब कि इन के पासपास दूर दूर तक न कोई नदी है, न कोई नाला, पर खाद्यान्न की मदद आती रही और "पीड़ितों" में लगातार बटती रही। वह सिक्रं कागज़ों पर।, इस तरह इस इलाके के अधिकाधिकारियों को तीन बार अनाज बाटा गया और उन के हस्ताक्षर या अगूठे रजिस्ट्रों पर लगवाये।"

मैं जानना चाहता हू कि क्या सरकार की सहायता इसी तरह कागज़ी सहायता ही रहेगी। सरकार को इस बात की जाच करनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए सहायता दी जाती है या खाद्यान्न भेजे जाते हैं, क्या वास्तव में वे उन को मिलते भी हैं या नहीं। कई बार केन्द्रीय अध्ययन दल जाच के लिए जाते हैं—वे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी गये थे—, लेकिन जिन लोगों को वास्तव में तकलीफ है, क्या वे उन लोगों से जा कर मिले?—नहीं मिले। वे केवल तहसीलदार, कलक्टर और एस० डी० और० के स्तर के अधिकाधिकारियों से मिले। प्रश्न यह है जो कि लोग गाव छोड़ कर

चले गये, उन्होंने किन परिस्थितियों में गाव छोड़े और उन को कितने दिन तक अनाज नहीं मिला। इन बातों की जाच नहीं की गई कि राज्य के पास अनाज का कितना भंडार है, केन्द्र की तरफ से कितनी सहायता दी गई, जिले में मासिक खपत के लिए कितना अनाज होना चाहिए, आदि। इनटीरियर के जिन जिन गावों में राहत-कार्य चल रहे हैं, उन को जा कर नहीं देखा गया और वहा के लोगों की कठिनाइयों के बारे में पता नहीं लगाया गया। मैं समझता हू कि केन्द्रीय अध्ययन दल जो जाता है इन कार्यों को देखने के लिए वह बड़े अधिकाधिकारियों से मिल कर और उन्हीं तक निर्भर रह कर वापस चला आता है जिससे सही स्थिति का उन को पता नहीं चलता और न ही उन का अनुमान उस के बारे में सही हो पाता है। यही कारण है कि हमारे अनुमान वास्तविक न होकर कान्पनिक रह जाते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की इस स्थिति में जो भयकर बाढ़ और सूखे की स्थिति है केन्द्र को अधिकाधिक सतर्क हो कर काम करना है। केवल इस आधार पर सतुष्ट हो कर नहीं बैठ जाना है कि हम ने राज्यों को सहायता दी है वह पहुच रही होगी या हम ने केन्द्र से इतना गेहूँ दे दिया वह उन को मिन रहा होगा। इस बारे में अधिक मतकंनता बरती जानी चाहिए। इस के लिए कोई ऐसी कमेटी हो या देखरेख करने वाला कोई दल हो जो इस बात की अच्छी तरह से जाच करे कि वास्तव में आप के द्वारा दी गई सहायता वहा पहुच रही है या नहीं। बरना आप ही यह ही नहीं और भी करोडों रुपये की माग ले कर आए वह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगी। उम का लाभ किसी को नहीं पहुचेगा।

एक माग की ओर मैं और आप का ध्यान आकषित करना चाहता हूँ।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के अनुसार आप ने जो राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा है उस के लिए भी कुछ पैसे की मांग की है। जहाँ तक बैंकिंग आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है उसकी बहुत सी सिफारिशों सरकार ने लागू की है और बहुत सारी लागू नहीं की हैं। राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा सरकार बैंको के अन्दर सेवा-शर्तों के नियमों की या उन के अन्दर भर्तियों के किस प्रकार के प्रावधान होंगे उन की व्यवस्था हेतु एक सर्विस कमीशन नियुक्त करने जा रही है। वित्त मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले इसी सदन में इस बात की घोषणा भी की थी कि वह इस बारे में कोई विधेयक भी प्रस्तुत करने वाले हैं। वह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आज बैंको की स्थिति क्या है इस के बारे में आप के एक्म-कस्टोडियन श्री पटेल ने 26 तारीख को एक वक्तव्य दिया है। उस में उन्होंने बताया है कि हमारे नेशनलाइज्ड बैंको की दशा ठीक नहीं है। बैंका के बारे में आम धारणा उत्तम नहीं है। उनके कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं करते उनमें सुधार की जरूरत है अन्यथा बैंको की साख गिरेगी। सेवा शर्तों के बारे में आप विचार करना चाहते हैं, उन की सेवा-शर्तों के अन्दर सुधार किंग जाय, वह अच्छी बात है लेकिन उन की व्यवस्था के बारे में जो आप के एक्म-कस्टोडियन है वह इस प्रकार की बात कहते हैं कि वह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सावधानी

मन्त्री महोदय में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दो तीन वर्षों के अन्दर आप को जो मुनाफा होना चाहिए था नेशनलाइज्ड बैंको से क्या वह कम हुआ है ? मेरी जानकारी के अनुसार 71 में जो 850 लाख का मुनाफा कहा जा सकता था वह घट कर 752 लाख हो गया। इस बात की वह पुष्टि करें या बताएं कि यह सत्य है या असत्य है ?

जहाँ तक बैंकों की शाखाओं का सम्बन्ध है शाखाएँ बढ़ी हैं लेकिन कुल मिला कर उन की जो कार्य प्रणाली है वह उपयुक्त नहीं है, तो बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर जब आप उन की सेवा शर्तों के बारे में विचार करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन की कार्य-प्रणाली में जो दोष है उन को दूर करने के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। मेरा विचार है कि यदि आप ठीक तरह से ठीक समय पर इन बातों के ऊपर विचार करें तो बार-बार इस तरह में सदन के मामले अनुपूरक अनुदानों की मांग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी इस प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार करने हेतु गंभीरता पूर्वक विचार करें, तथा तदनुरूप अमल करें।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रालय की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ आज सम्पूर्ण दश हमारा बैंबी आपदा में फसा हुआ है विशेष कर हमारा उत्तर प्रदेश जो देश का बहुत बड़ा भाग है आज बाढ़ और सूखे में प्रसिद्ध है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में बाढ़ की आपदा है और पूर्वी जिने पहले ता सूखा-ग्रस्त थे अब वहाँ पर भयंकर बाढ़ आ गई है। अभी हमारे क्षेत्र का हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री कमला पति जी ने दौरा किया। उन के साथ मैं भी था। देहात के लोगो ने उन को दिखाया कि वह धाम की रोटी खा रहे हैं और वहाँ जो कुछ गल्ले की दूकानें हैं उन से गल्ला भी नहीं मिल रहा है। एक बड़े सकट की स्थिति से वहाँ लोग गुजर रहे हैं। उन के कितने ही बच्चे तीन चार दिन से खाये नहीं हैं। यह सब स्थिति वहाँ के लोगो ने कमलापति जी के सामने रखी। हमारे विरोधी दल के भाइयों की एक समिति ने भी इस क्षेत्र का

दौरा किया था। उसने भी लिखा है कि कितने ही लोग वहाँ मर भी गए हैं। कहा तक यह बात सही है मैं नहीं कह सकता। लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है।

आज 25 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे क्षेत्र बलिया में सिंचाई की कोई योजना भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिंचाई का काम कुछ तो किया है। कुछ ट्यूबवेल लगाए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर आज 200 ट्यूबवेल लगा दिए जाय तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो जायेगी और हम कभी भी वहाँ सूखा नहीं पढ़ने देंगे। हम अपना काम उमसे चला लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे यहाँ के लिए कुछ स्कीम मंजूर भी की है लेकिन पैसे की कमी के कारण वह सारी स्कीम रुकी पड़ी है। जैसे बादिगापुर पम्प कॅनल है, बोहरी महायक परियोजना है। आज भारत सरकार जो रुपये दे रही है उस में से कुछ रुपया इन कामों के लिए दे दिया जाय तो इन की व्यवस्था हो जाय और पानी की समस्या वहाँ न रहे।

इन सब की व्यवस्था हाते हुए भी अगर बिजली नहीं रहेगी तो सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ट्यूबवेल नहीं चल पाएंगे न नहर से पानी आएगा। सारी व्यवस्था ठप हो जायेगी। हमारी बिजली भी पानी के और मानसून के ऊपर निर्भर है। इसलिए ऐसे सेक्योर्ड डीमण्ड के लिए उस की आल्टरनेटिव प्लानिंग भी वहाँ पर होनी चाहिए। एकाध थर्मल पावर स्टेशन भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और उन 23 जिलों से जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है सूखे के कारण वहाँ पर

होने चाहिए जिससे हाइड्रिल में चले तब भी उससे काम चल सके।

आज हमारे देश के अन्दर एक परेशानी यह भी है कि सारी खरीफ की फसल समाप्त हो गई। यहाँ से मवेशियों को और मनुष्यों को कम से कम मार्च तक खिलाने की व्यवस्था हम को करनी है। खरीफ की फसल में एक पैसे बराबर भी कामयाबी अभी तक नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमारी जो अगली लड़ाई होगी उस में रबी की फसल के ऊपर हम ध्यान दें। रबी की फसल के लिए हम फर्टिलाइजर की व्यवस्था कर दें, पानी की व्यवस्था कर दें, तो इस स्थिति का सामना हम कर लेंगे।

हमारे क्षेत्र के अन्दर गंगा और घाघरा ये दो नदियाँ पूरे क्षेत्र को घेरे हुई हैं। गंगा का कटान गायघाट से लेकर माझी के आगे 2 मील तक सौ गज की चौड़ाई में होना चला जा रहा है। चक्की चादियरा घाघरा के किनारे एक गाँव है। इस गाँव के अन्दर 20 घर उस नदी काट दिए और 10 घर बेट के अन्दर हैं। चक्की चादियरा से चार मील गंगा का दक्षिण जमीन फट रही है। अगर यह गाँव कट गया तो घाघरा नदी अपना कोर्स चेंज कर देगी और उस से दो तिहाई भाग जिन का कट जायगा। यह बड़ी खतरनाक परिस्थिति हमारे यहाँ बाढ़ से उत्पन्न हो रही है। इस की और भी ध्यान जाना चाहिए और इस की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, आकार में बड़ा है आबादी में बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सारे देश के लोगों से कम है। इस बात को देखते हुए हमारे प्रदेश को जो भी एलाटमेंट कि या जाय वह इन आधारों पर किया जाय। हमारे यहाँ विषमता वाले क्षेत्र हैं,

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

हिली एरियाज हैं, बुन्देलखण्ड का इलाका है; मध्य उत्तर प्रदेश है और ईस्टर्न यू० पी० है। इन सारी विषमताओं का ब्याल रख कर के, आकार का ब्याल रख कर के, जनसंख्या का ब्याल रख कर के, आबादी का ब्याल रख कर के हमको सहायता देनी चाहिए और उस में भी जो आप हैं उस में ईस्टर्न यू० पी० के जो विषमता वाले क्षेत्र हैं उन का परसेटेंज फिक्स कर दिया जाय ताकि वास्तविक ग्रयों में उन की सहायता हो सके।

एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। भारत सरकार 50 कृषि के पालीटेकनीक खोलने जा रही है। हमारे यहां कोई बड़ी इण्डस्ट्री नहीं है। जमीन की प्रावलम होने से कोई भी बड़ी इण्डस्ट्री यहां लग नहीं सकती। तो हमारे यहां बलिया में एक पालीटेकनीक खोला जाये और बलिया आजमगढ़ तथा गाजीपुर के लिए एक मेडिकल कालेज कम से कम और खोला जाये जिस से हमारे यहां के विद्यार्थी उस में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

गोरखपुर में जिस प्रकार से फटिलाइजर फैक्ट्री आप ने खोली है, उसी तरह बस्ती में भी एक फटिलाइजर फैक्ट्री खोली जाय। वहां भी भ्रकाल की हालत चल रही है, बहुत ही पिछड़ा हुआ और गरीब इलाका है। एक फटिलाइजर का कारखाना वहां लगा दें तो उस इलाके का कुछ विकास हो सकता है।

*SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to say a few words on the Supplementary Demands for Grants, 1973-74 on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam.

The approval of this House for an additional expenditure of Rs. 133.05 crores is sought through these Supple-

mentary Demands. During 1972-73 the Central Government hosted the Third Asian International Trade Fair, for which a sum of Rs. 3.83 crores was sanctioned by this House in the Budget Estimates for 1972-73. A sum of Rs. 72.27 lakhs was incurred over and above the sum of Rs. 3.83 crores. It is somewhat curious to note that an advance of Rs. 128 lakhs was obtained from the Contingency Fund to meet this additional expenditure of Rs. 72.27 lakhs. I would like the hon. Deputy Minister of Finance to clarify as to why more money was taken as advance from the Contingency Fund of India. I would also like to know from her the total expenditure incurred on this Fair. In fact, this should have been mentioned clearly in the concerned Supplementary Demand for which the approval of this House is being sought.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. I would draw your attention, Mr. Chandra Bhal Mani Tiwari, to this. You are a new Member. Please note that, when a Member is speaking, no member should come between the member speaking and the Chair.

SHRI CHANDRA BHAL MANI TIWARI (Balrampur): Excuse me, Sir.

SHRI J. MATHA GOWDER: Under demand No. 28, the Government are seeking the approval of this House for an additional expenditure of Rs. 45 crores. This relates to the sale of two ships from the Shipping Corporation of India to Bangla Desh, which will enable that country to rehabilitate its economy shattered during the war for independence. It was expected that the transfer of the ships would materialise during 1972-73 itself. You will be surprised to know the actual date of delivery of these two ships. The delivery of the ships took place on 11th July, 1973. I do not dispute the noble gesture on the part of the Government in coming to the assistance of Bangla Desh endeavouring

*The original speech undelivered in Tamil.

to revive its sagging economy. But the assistance should be given on time. This kind of inordinate delay nullifies the impact of such assistance. The Government might reply that there was a prolonged negotiation about the price of the ships. You will agree with me, Sir, that such a reply will also not be convincing. You know that the Government of India assisted ungrudgingly Bangla Desh in its war for independence and had to incur expenditure running to several crores of rupees. In that context, the negotiation about the price of the ships should not have taken a year or so. If the Government of India pledge assistance to countries like Bangla Desh, it should be ensured that the pledge is fulfilled on time and there should not be this kind of inordinate and unconscionable delay.

Coming to Demand No. 38 under which an additional sum of Rs. 50 crores is asked for, I would like to point out that the Government have not mentioned in the Supplementary Demand as to how much money has been given as grant and loan to the States afflicted by floods and drought out of the sum of Rs. 10. crores sanctioned in the Budget Estimates for 1973-74. When the Government seek the approval of this House for additional expenditure, it should be the normal procedure for the Government to explain in the Supplementary Demand that so much money has been spent so far and so much additional money is likely to be needed. I say this because it is customary for the Government to get the sanction of this House for such expenditure in May and the assistance to the States is not given till the end of the year. The States have got the genuine grievance that the money is sanctioned in the end of the financial year, i.e. in March, and they are unable to meet out their commitments in such a short time. I hope you will appreciate my demand for the information as to how much money has so far been sanctioned to the States afflicted by floods and drought. After obtaining the approval of this House for such an

expenditure, there should not be any delay on the part of the Central Government in sanctioning the financial assistance to the State Governments in the form of grants and loans.

Sir, under Demand No. 39 a token supplementary grant of Rs. 1000 is sought for meeting the expenditure of the Committee for Standardisation of scales of pay, allowances and perquisites of officers of the 14 nationalised banks. I do not question this. But I do want to mention here that the Government should have come forth in these Supplementary Demands with a token grant for implementing the recommendations of the Pay Commission. If there is no such token grant in these Supplementary Demands, naturally lakhs and lakhs of Central Government employees begin to suspect that the Government are not serious to implement the recommendations of the Pay Commission. Consequently, this leads to a sense of frustration among the Central Government employees. I wonder whether the Government are annoyed with their employees and that is why they have not asked for a token grant for this purpose. You cannot prevent anyone from this feeling that the Government want to postpone indefinitely the implementation of the recommendations of the Pay Commission. I would, in conclusion, request the hon. Minister of Finance to clarify this point in her reply to the debate I would only urge upon the Government that there should not be any hesitation on the part of the Government in implementing the recommendations of the Pay Commission.

With these words I conclude.

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur):
 I would say a few words about this Demand No. 11 Particularly, I would like to draw the attention of the Minister to the carelessness in preparing the Budget Estimates regarding Asian Trade Fair. The original estimate was Rs. 3.82 crores. Then it was considered that it was a low figure and that the expenditure would be more. So, a supplementary grant

[Shri S. R. Damani].

Rs. 45 lakhs was added. Again they thought that this amount too would not be sufficient and accordingly, they asked and got Rs. 27 lakhs more. Lastly, they have now come up with a total expenditure of Rs. 8.54 crores against the original estimate of Rs. 3.82 crores. It is nearly more than double. Whatever explanation that has been given is not satisfactory. Why could they not estimate all the things? They required more electricity, they required more for other expenditure. It is more than double the expenditure. According to my little experience, this is great carelessness and the officers responsible should be asked

15.27 hrs.

[SHRI S. A. KADER in the Chair].

Then, Sir, last year the fair was organised. There was rain and visitors had to suffer a great deal. This cannot be called a very successful trade fair. After incurring double the expenditure, the result was this.

I would like to draw your attention to another point which is very important. An amount of Rs. 24 crores is also required during the current financial year for affording technical trade facilities to the Government of Sudan under the Indo-Sudan Trade Agreement with effect from 1st August, 1973. We have our trade relations with Sudan since long, since so many years. We are exporting cloth and we are exporting engineering goods to Sudan and we import cotton from Sudan. We import long-staple cotton which is not produced in our country and we are importing every year more than three lakhs bales of cotton and that covers about Rs. 20 crores. It is a both way traffic—exports and imports which went on for many years. But what Sudan has done this time is that they have not supplied a single bale of cotton to us. When we sent offers, they said 'We are prepared to sell you one lakh bales of cotton at this price. When counter-offer is

made they rejected it. They further increased the price by 15 to 20 per cent. The total increase has come to 62 per cent. More than that they have sold it to hard currency areas. They are not giving us cotton but they are selling it to hard currency areas. This is very strange. This long-staple and superfine cotton is used in handloom and powerloom sectors. Eighty counts and hundred counts are used in handloom and powerloom sectors for manufacturing dhotis and saris and mulls. There is no excise duty on them. The excise duty is put on the industries only and they are given exemption of excise duty. Now the position is, whatever cotton is available is used and the prices are going up. This kind of cotton is not available. I request Government to look into this situation because thousands and thousands of weavers are jobless. They do not get yarn and if they do not get yarn how can they run the looms? It is a big problem, it affects us terribly. In the future it will have more adverse effect. I want to know as to why Government has not asked Sudan about it? What have they done to ask Sudan to supply us the required quantity of cotton? Why have they sold it to hard currency area? Have they enquired the reasons for that? What guarantee is taken from them in future years? All this I would like to know. This is one specific point on which I request hon. Minister to reply.

There is Rs. 445 crores credit given to USSR. It is a big country. Our credit balance for last budget was more than Rs. 200 crores. We see this from the budget figures. When we have got so much of credit balance what is the necessity for providing more credit like this to USSR? No reason is given for that, Sir. Will you get essential commodities which are not easily available in the country like wheat or oil for which they will give this credit facility? What is the reason? Are we to get goods which are in short supply in the country? This matter should be looked into and I

think the hon. Minister will reply to this point.

I want the matters which I mentioned regarding the Asian Trade Fair to be examined and a report submitted to Parliament. With regard to Sudan, I request Government to ask Sudan why they have supplied this kind of cotton to other countries and deprived us of this kind of cotton which has resulted in thousands and thousands of weavers being without jobs. My third point was about the USSR. I request the hon. Minister to reply to these points when she replies to the debate.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा साधारण बजट के समय जिन मांगों को रखा जाता है और जो अतिरिक्त मांगें रखी जाती हैं उसके पीछे एक बड़ा सिद्धान्त है कि सरकार जो खर्चा करे, एक एक पैसा, वह बिना लोकसभा की अनुमति के न खर्च करे। लेकिन यह सरकार अपने अनुदानों को सदन के सामने रखते समय सारे तथ्यों का उद्घाटन नहीं करती और कई ऐसी मर्कों पर रकमें खर्च की जाती हैं जिनकी जानकारी इस सदन को नहीं दी जाती। मैंने बहुत कोशिश की। कैबिनेट सेक्रेटेरियट की तहत इस समय सभी जासूसी विभाग हैं और इनके बारे में इतनी गुप्तता बर्ती जा रही है कि इनकी तहत क्या-क्या खर्चा होता है उसका पता सदन को नहीं लगता। मेरा ख्याल था कुछ नया खर्चा हुआ होगा तो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में उसका उल्लेख आयेगा। खर्चा तो हुआ है लेकिन इसमें उल्लेख नहीं है। पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया तथा प्रशांत महासागर के इलाके में एक पाक्षिक हांगकांग से निकलता है जिसका नाम है "फार ईस्टर्न एकोनामिक रेव्यू"। उसके ताजे अंक में जो सन्सनीखेज खबर छपी है वह मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ क्योंकि इस मद के ऊपर खर्चा हुआ है बिना

सदन को जानकारी दिए हुए। यह इस प्रकार है।

"Towards an Orwellian India, New Delhi's Watergates are unlikely to crash into the headlines, but its newfound interest in spy technology has become public knowledge. It appears that a whole network was organised recently, ostensibly to collect intelligence on foreign affairs. The budgeting of this organisation is outside the scope of Parliament. So, few people know the details. What is known is that huge amounts of hard cash have been spent in Japan and the United States to purchase sophisticated electronic gadgetry. The point worrying many Indians is that the resources of the organisation have of late been used to spy on political rivals within the country. In the recent Bihar and Gujarat ministerial changes, the Gandhi Government is believed to have given priority to reports it received from the spy masters. Some intellectuals go so far as to suggest that the infra-structure of a police State has already been established in India."

यह फार ईस्टर्न एकोनामिक रेव्यू कोई सनसनीखेज खबरें छनपकर अपनी खपत बढ़ाने वाला अखबार नहीं है। इसमें जो जानकारी और तथ्य दिए जाते हैं वह विश्वसनीय होते हैं। तो क्या मंत्री महोदया इस बात का खुलासा करेंगी? मैंने जनरल डिमाण्ड्स बजट के समय की भी देख ली हैं और कैबिनेट सेक्रेटेरियट की तहत इसके बारे में कोई रकम नहीं दिखाई गई है। राष्ट्रीय नेताओं पर जासूसी करने के लिए क्या अमरीका और जापान से आधुनिकतम गैजेट्स मंगवाए जा रहे हैं जिसकी खर्चा फार ईस्टर्न एकोनामिक रेव्यू ने की है, मंत्री महोदया इसका मुझे अपने जवाब में करें। क्योंकि यह खबर यदि दनिया में

[श्री मधु सिन्घे]

फैल जायेगी तो भारत की बड़ी बदनामी हो जायेगी। लोग समझते थे हम लिमिटेड डिपेंडेंसिप की धोर जा रहें हैं लेकिन परसों प्रधान मंत्री ने खुलासा किया है कि डिपेंडेंसिप की धोर नहीं जायेंगे, हमें लोकतन्त्र चाहिए। तो लोकतन्त्र में इस तरह के एलेक्ट्रॉनिक गजटरी खरीद कर यहां के राजनीतिक नेताओं और अपने दल के विरोधियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की जो बात इसमें कही गई है उसका खुलासा यहां होना चाहिए।

अब जो वर्तमान अतिरिक्त मांग है उनमें इस बात को छिपाया गया है। लेकिन जो बातें दी गई हैं उन में से एक ही मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें प्रावधान किया गया है कि इस साल जो प्राकृतिक संकट कई राज्यों के ऊपर आये हैं, जैसे भूकाल है, बाढ़ है, बीमारियाँ हैं—उन संकटों का मुकाबला करने के लिए जो सौ करोड़ रुपये की रकम पहले तय की गई थी। सरकार ने सोचा यह काफी नहीं है और मेरी भी राय है कि यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ की वृद्धि करने का सुझाव सदन के सामने रखा है।

जहां तक बिहार की स्थिति है सायद साध मंत्री समझते हैं कि अभी अभी जो वर्षा उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई उससे दुर्भिक्ष और भूकाल का संकट पूर्णतया समाप्त हो गया। सभापति महोदय जिनको जानकारी है वह जानते हैं कि मक्का की फसल तकरीबन बर्बाद हो चुकी है, जो कृषि का धान होता है वह भी खरम हो चुका है और अगहनी धान के लिए मोरी वगैरह पैदा करने के लिए किसान के पास बीज नहीं है। इतनी उनकी

दुर्गति हो गई है। ऐसी हाजत में बिहार सरकार ने जब 10 करोड़ ६० की मांग की तो सभी विरोधी दलों ने कहा कि 10 करोड़ पर्याप्त नहीं होगा। और वहां तो मैं देख रहा हूँ सभी जगह बाढ़, भूकाल, दुर्भिक्ष है। अगर पूरे देश के लिए सिर्फ 50 करोड़ २० की इसमें वृद्धि करने की बात मंत्री महोदय ने रखी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वह रकम पर्याप्त नहीं है। वास्तव में भूकाल, भूकाल और भूकमरी का संकट ऐसा भयंकर संकट है, उत्तर प्रदेश से समाचार आ रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की भूकमरी से मौत हो चुकी है, हजारों लोग मरने जा रहे हैं। ऐसी हाजत में राहत का काम शुरू करने के लिए यह जो राशि है उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन बातों पर पुनर्विचार करेगी।

श्री मुल्की राज सेनी (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं एक विशेष बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे जिले में अभी कुछ अधिक वर्षा हुई, बाढ़ में नहीं कलूंगा, लेकिन उस में एक, दो गांव के अन्दर खड़ी फसल पानी में डूब गई जिससे बहुत बड़ी हानि हो गई और कुछ और होने की सम्भावना थी। वह लोग मेरे पास आये और मैं उनके प्रार्थना-पत्र लेकर जिलाधीश के पास गया। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर जब जिलाधीश ने कहा कि न राज्य सरकार के पास और न केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जो फसल डूबती हुई खराब होती हो उस में से पानी निकालने की कोई व्यवस्था करें। ऐसे खर्च की कोई आइटम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डूबती हुई धारावादी को बचा सकते हैं, लेकिन डूबती हुई, खराब होती हुई फसल को बचाने के लिए न हमारे पास

कोई पैसा है और न योजना। बाढ़ और सूखा हमारे देश की मुस्तकिल चीज हो गई है और महीनो से इस पर बहस कर रहे हैं। सूखे से कीमत ऊपर बढ़ जाती है, लेकिन सूखा घाने से पहले, बाढ़ घाने से पहले जो करना होता है वह काम भी सरकार को देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जो पैसा दिया नहु है वह पहले भी ठीक से खर्च हुआ है कि नहीं ?

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि न बाढ़ घायी, न सूखा घायी, सरकार से सहायता भी ले ली गई और वह ठीक तरह से कहने को बट भी गई लेकिन वह बाटने वालो की जेब में चला गया। इस तरह से घोखाघर्डी होती है। तो आज सूखा और बाढ़ केबारे में नहीं बल्कि सरकार का जितना खर्च होता है और बजट पास होता है उस मेजब भी बढ़ोत्तरी हो जाती है, खर्च ज्यादा होने की सम्भावना होती है तभी प्रतिरिक्त माग मागी जाती है और इसी वास्ते हम लोग उनको पास भी करते हैं यह मानकर कि यह खर्चा सही है और सरकार सही खर्च करेगी। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हू कि उतनी ही गम्भीरता से सरकार को देखना होगा कि जो पैसा हम मन्बूर करते हैं उस का ठीक से उपयोग हो। होता यह है कि जो मसीनरी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है वह सक्षम नहीं है और बहुत सा पैसा उनकी जेब में चला जाता है और बजट का बहुत सा पैसा इस तरह से अपव्यय होता है।

मैं एक छोटे से घाइटम के बारे में कहता हू कि हमारे देश के घन्दर प्रतिधि गृह बने हुए हैं जिनमें प्रतिधि सत्कार किया जाता है। यह कीमत घायी के स्टैण्डर्ड से ऊंचे हैं, एक रुलिंग क्लास, स्पेशल क्लास के लिए प्रतिधि गृह

बने हुए हैं और रोखाना सरकारी खर्च पर प्रतिधि सत्कार में होने वाले व्यय को डाला जाता है। अगर देश भर में जितने प्रतिधि गृह बने हुए हैं उन के जो सत्कार पर रोखाना खर्च किया जाता है अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो करोड रुपया साल में खर्च होता है। इसलिए आज जब कम खर्च करने की घावाज घा रही है, 400 करोड २० की कटौती करने जा रहे हैं, इस तरह के खर्च में अगर हम किफायत करते और टैक्सेशन पीलिसी सरकार की सही हो तथा टैक्स भी ठीक से वसूल किये जायें तो आज ऐसी डिमाण्ड की हमें घावश्यकता न पड़े जैसी कि आज 133 करोड की माग हमारे सामने है। बल्कि होना यह चाहिए कि जहा हम घरबो २० फ्रिजूलखर्ची में खर्च कर रहे है उसको रोकना चाहिए और किसान की जो समस्या बाढ़ और फसल के बारे में है उस पर प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार को सोचना चाहिए और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहा पर बाढ़ है या खेत में पानी भर जाने की सम्भावना है उसके लिए कोई नाला बनाया जाय, ड्रेनेज की स्कीम लागू की जाय जोकि बहुत घावश्यक है, और यह जो फ्रिजूलखर्ची पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको रोक कर ऐसे कस्ट्रक्टिव कामों पर उस को खर्च किया जाय, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अमर भाल मनी सिचारी (बलरामपुर) अभापति भी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हू कि इस देश की जो घाजकल स्थिति है जिसके बारे में सारा देश चिन्तित है उसका बुनियादी कारण क्या है और उस को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस पर हम सबको गौर करना है। मेरा निवेदन है कि हमारी जो नीकरवाही है वह जो घाकडे देती है क्या वह सही तरीके से देती है ? अगर

[श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी]

मही आकडे देती है तो क्या बजह है कि कामयाबी कुछ नहीं होती। इसलिए इस फारमूले की अपनाना होगा कि जो रिपोर्ट आती है उसको फिर से सशोधित करके सही किया जाये जिससे कि देश में जो तकलीफें आया करती है वे ठीक हो जायें।

आज देश में बहुत सी समस्यायें हैं, 75 से 80 परसेंट रूरल एरिया है जिसका विकास यदि नहीं हुआ तो समाज का 80 प्रतिशत वर्ग वञ्चजोर होगा और इनकी वज्र में 20 फीसदी वर्ग भी तरक्की नहीं कर सकता, या तरक्की का कोई माने नहीं रखेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा बजट देहातो पर लगना चाहिए। इस काम का पुन अवलोकन करना होगा, जो फिगर्स आज तक आये हैं उससे हमें मालूम नहीं होता है कि कोई कामयाबी मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी खेती की तरक्की के लिए आवश्यक है कि जो खेती के भोजार हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, पानी है उसको ठीक ढंग से मगलाई कर मकें इसका समुचित इतजाम होना चाहिए। ट्रैक्टरों की दशा बहुत ही खराब है, मिलते नहीं हैं। पानी की व्यवस्था यह है कि हम ग्राउण्ड वाटर को तलाशते हैं, लेकिन सरफेस वाटर को नहीं देखते। हमारे देश में इतनी नदिया और तालाब है अगर उनके पानी को इस्तेमाल करे तो हमारी बहुत सी समस्या हल हो जायेंगी। लेकिन हम लकीर के फकीर बने हुए हैं और ग्राउण्ड वाटर तलाशते हैं। मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को डाय-रेक्शन दें कि ग्राउण्ड वाटर को पहले न देखें, पहले सरफेस वाटर को देखें जिससे सिंचाई हो सकती है और पैदावार बढ़ सकती है।

रूरल इलाके जो हैं वहाँ के भवनी बहुत निर्बल है। वहाँ व्याप्त बेकारी को दूर करने के लिए आपको एम्प्लायमेंट का उनके लिए इन्तजाम करना चाहिए। आज-पढ़ लिखे लोग भूखो मर रहे हैं ऐसी कुछ चर्चा चल रही है। जो अनपढ़ हमारे देहातो में हैं उनकी क्या दशा होगी इसका ध्यमान आप लगा सकते हैं। उनकी हानत और भी बढ़तर है। उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना चाहिए जैसा पिछले सालों में आपने क्रेश प्रोग्राम बनाया था। उसके तहत बहुत कम काम हुआ। मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ और तेज किया जाए। उसमें यह वादा भी किया गया था कि हर साल इसमें पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जितनी आवश्यकता थी उतनी रकम उसमें नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि उसको पुन रिवाइज किया जाए।

हमारी एजुकेशन पुराने ढांचे पर चल रही है। मेरी प्रार्थना है कि प्राइमरी एजुकेशन में ही बच्चों को टेक्नीकल शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे और देशों में होता है। वहाँ शुरू से ही टेक्नीकल जानकारी उनको दी जाती है।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर यहाँ नहीं हैं। उप मंत्री महोदय हैं। मैं समझता हूँ कि उनका ध्यान अपने प्रान्त की ओर जहूर गया होगा। हम दोनों का एक ही प्रान्त है। उस प्रान्त को बैकवर्ड प्रान्त कहा जाता है। उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो प्रान्त की कैटेगरी में भी बैकवर्ड हैं और उन में गोडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर आदि 36 जिले आते हैं। मैं उनमें जानना चाहता हूँ कि क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स को वह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में ही रखना चाहती हैं या उनमें कुछ सुधार कार्य भी करना चाहती हैं। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डिमांड्स रखनी पड़ेगी, स्पेश। प्रोग्राम इन में

बालू करने देंगे, हमारे जिलों को आगे बढ़े हुए जिलों के बराबर रखा गया तो फिर भी हमारे ये जिले पिछड़े हुए रह जायेंगे।

सभापति महोदय, गोंडा जिले के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वहाँ सरफेस वाटर बहुत दिखाई पड़ना है। उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उससे लाभ उठाने का बात सोची गई थी। हमने वैसे कोई नक्शा भी भेजा था लेकिन शायद उस पर गौर नहीं हुआ। प्रान्तीय सरकार की की इम में जिम्मेदारी हो सकती है। कागज़ यहाँ आया था जो कि प्रान्तीय सरकार को भेज दिया गया और उसने कुछ नहीं किया। मैंने श्री बज नाथ कुरील जब वह मिचाई मन्त्रालय में उपमंत्री थे उनसे भी निवेदन किया था और उनका अपने क्षेत्र में भी मैं ले गया था और उन्होंने आश्वासन भी बहुत दिये थे लेकिन अभी तक उसके तहत हमारे खयाल से दो परसेंट भी कार्य नहीं हुआ है। जो पुराने पेपर पड़े हुए हैं मेरी प्रार्थना है कि उन पर गौर करें और उस क्षेत्र के लिए कुछ राहत कार्य करें।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): I have to make only three submissions.

The first relates to the organisation of the trade fair last year. It appears that, in all, about Rs. 7 crores were spent on this trade fair. It is rather excessive and makes us wonder whether the show that was put up required all this amount that had been spent on this. Particularly one remembers how the structures put up on that occasion did not stand the rains, and there were complaints made by the foreign agencies which had put up some shows in that exhibition. We also do not know to what extent any recovery was made as a result of the sale of tickets and so

on. That is not given in the document that has been presented to us.

Secondly, I would like to move on to the subject to which a reference was made by my hon. friend, Shri Madhu Limaye. This has been very much in the minds of the hon. members of the Opposition that the network of spies is being strengthened only to keep a watch over the members of the Opposition...

AN HON. MEMBER: Bugging.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Yes, bugging. You probably know, Mr. Chairman, that now we hear of 'infinity bugs' having been invented by the United States. It is called 'infinity bugs' which, if you fit on a telephone, would enable you to get all the news on the direct line anywhere. And some of these 'infinity bugs' were sought to be sold in the United Kingdom only a few months back. One does not know whether the accounts that have been read out by my hon. friend, Shri Madhu Limaye, which appeared in one of the foreign newspapers, also do not mention that some of these 'infinity bugs' have been purchased by the Government of India with the special purpose of keeping a watch over the members of the Opposition. I dare say that this has been our experience that, even the network of spies in the Central Hall has been very much expanded and strengthened during the recent times. We would like our minds to be disabused of any suspicion in this regard. We know that there would be a very brief and cryptic reply from the hon. Minister that there has been no such thing and that it is all unfounded. But there have been certain personal experiences in this matter, and some hon. members on this side, particularly those belonging to the Communist Party (Marxist), have been making complaints about the Research and Analysis wing being very much strengthened and expanded...

SHRI SAMAR MUKERJEE (Howrah): Our office is under con-

[Shri Samar Mukherjee]

stant watch and our members are shadowed.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: He says that they are under constant watch. And one gets the doubt whether one is not living in some kind of a Stalinist regime. That is the kind of feeling that is gaining ground in the country.

Mention has been made about the assistance given to the States which were affected by drought, famine and so on. There, my feeling is that the information on the entire amount of assistance given has not been shared with us because one of the Chief Ministers—I am particularly referring to the Chief Minister of Maharashtra—has said recently that he had spent in his State about Rs. 150 crores, fifty per cent of which was contributed by the Centre. If that is so, the amount given here does not square with the statement of the hon. Chief Minister of Maharashtra. The amount must be larger than this. And if that is so, then we belonging to Bihar, the people of Bihar, will have a natural and very legitimate grievances that Bihar has not been treated fairly in this matter...

MR. CHAIRMAN: Which page are you referring to?

16 hrs.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am referring to the assistance given to the States affected by drought and all that. Page 9. One also does not get any idea how the assistance made for the Rabi programme had been spent and what was the result of all the assistance given for the Rabi programme. We are told that the amount given for the Rabi Programme was of the order of Rs. 150 crores. But the Rabi programme is a dismal failure. Initially we were given to understand that this amount of Rs. 150 crores would bring

about an additional production of the order of 15 million tonnes. Later on, it was scaled down to 4 million tonnes and now one comes to know with a great shock that there would be absolutely no additional production at all, as a result of the enormous amount of expenditure undertaken. It now comes to this that Rs. 150 crores which was expected to yield 15 million tonnes of foodgrains, would yield no additional production at all. So they owe to the country a word in explanation how this huge amount had been spent.

These are precisely the three important points on which I would like the hon. Minister to throw some light. But, incidentally, I would like to say that though it is very pleasing to have the hon. Deputy Minister in front of us, if it amounts in down grading the Supplementary Demands or diminishing the importance of the Supplementary Demands, then we will have definite objection to it. It would not be in keeping with the dignity of the House that the hon. Finance Minister himself does not think it necessary to present the Supplementary Demands or reply to the points made by the Members during the debate.

श्री मूल चन्द्र डागा (पानी): सभापति महोदय, राजस्वान में बीस हजार गांव अकाल से पीड़ित हुए थे और आज भी वहां पर बड़ी कठिन स्थिति है। लेकिन जहां राजस्वान ने 73 करोड़ रुपये मांगे, वहां उस को केवल 12 करोड़ रुपये दिये गये। हम ने देखा है कि सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए कुछ स्टेट्स को ज्यादा रुपया एलाट हुआ है और कुछ स्टेट्स को कम एलाट हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस का क्या कारण है।

यहां पर आक्रिस में यदि कोई व्यक्ति घाट बंटे से एक घंटा अधिक काम करता है, तो उस को ओवरटाइम एलाउंस दिया जाता है। इस तरह एक साल में सत्तर लाख

रुपया प्रोब्रटाइम एलाइंस के रूप में दे दिया गया है। लेकिन भ्रकालग्रस्त क्षेत्रों में जो लोग भूखे हैं, जिन के पेट में भ्रन्न नहीं है, उन को जमीन खोदने के लिए कहा जाता है और तब भी उन को एक दिन के तीन रुपये भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई मजदूर पूरा काम नहीं करता है, तो उसकी तन्ख्याह काट ली जाती है और उस को केवल 1 रुपया 10 पैसे या 1 रुपया 15 पैसे दिये जाते हैं।

इन डिमांड्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखने से पता चलता है कि तीसरे एक्सियाई व्यापार मेले के लिए 5.83 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन खर्च हो गया 8.54 करोड़ रुपया, यानि एस्टीमेट से तीन करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो गया। किसी को क्या फिक्र है? जनता टैकम देती रहती है, चाहे जैसे खर्च करो। कोई पूछने वाला नहीं है कि यह एस्टीमेट कैसे बनाया गया, कितना इनवेस्टमेंट किया गया, कितनी आमदनी हुई और तीन करोड़ रुपया ज्यादा कैसे खर्च हो गया। आखिर एस्टीमेट और वास्तविक खर्च में इतना फर्क नहीं होना चाहिए।

इन स्प्लीमेंटरी डिमान्ड्स को देखने से पता चलता है कि गवर्नमेंट पर कोर्ट्स की करोड़ों रुपये की डिप्रिया होती है। क्या गवर्नमेंट के ला डिपार्टमेंट ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि कोर्ट्स में इतनी डिप्रिया क्यों लानी है। रेलवेज पर हर साल चौदह पन्द्रह करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन में देती है। फंडामेंटल राइट्स के केस में गवर्नमेंट की तरफ में वकीलों को पंद्रह लाख रुपया दिया गया है।

श्री विक्रम महाजन (कागडा) माननीय सदस्य वकीलों के खिलाफ क्यों है ?

श्री मूल सचिव डांग्रा मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस क्लास के खिलाफ हूँ जो चाहती है कि गरीब जनता का पैसा हमारे घर में आ जाये।

श्री विक्रम महाजन : बोलने वाला और सुनने वाला वीनो एक ही क्लास के हैं।

श्री मूल सचिव डांग्रा कोर्ट्स की डिप्रिया होने पर कई कई हजार रुपये कम्पेन्सेशन के दिये जाते हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट का इतना बड़ा ला डिपार्टमेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने अफसरों को इस लिए सस्पेंड किया गया है या सजा दी गई है कि उन्होंने गवर्नमेंट का नुकसान होने दिया। अगर डिपार्टमेंट समझता है कि इस केस में डिप्रिया नहीं होगी, या वह जस्टीफाइड है, तो रुपया दे देना चाहिए, ताकि कोर्ट व वकीलों का खर्चा बच जाये।

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद) : इस घड़े में बहुत लोग लगे हुए हैं। इस तरह तो बं मर जायेंगे।

श्री मूल सचिव डांग्रा क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक एक्स्पनाइटर क्लास बनी रहे, रेलवे में चौरिया होती रहें और कम्पेन्सेशन के सूट होते रहे? मैं उन की बात में महमन नहीं हूँ।

इस हाउस में कई बार कहा गया है कि जब फेमिन हा, तो ऐमे इग्नेशन वर्क्स लिये जाने चाहिये, जो प्राइक्टिव हो। फेमिन में नान-प्राइक्टिव वर्क्स क्यों हाथ में लिये जाने है। इकानोमिक्स एंड पालिटिक्स में "डाउट इन महाराष्ट्र" के शीर्षक में एक आर्टिकल निकला है, जिस में बताया गया है कि ऐमे तालाब खोदे गये हैं, जा जमींदारों के काम आने है, लेकिन उन की वजह से पंचामों काशनकार वर्गा हो गय है। शिड्युन्ड फास्टस के लिए अलग कुण खोदे जाते है। कुछ वेन्टिड इन्ट्रेन्स बन जाते है, जो फेमिन के लिए रखे गये रुपय को अपने लिए इम्प्रोवाल करने है।

सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी मशीनरी पर भी कुछ नजर रखती है या नहीं। ये स्प्लीमेंटरी डिमांड्स दूसरी मिनिस्ट्रीज

[श्री मूलचन्द डागा]

की है, लेकिन इन को डिप्टी मिनिस्टर, फिनांस पेश कर रही है। एग्जीक्यूटिव और कामर्स से उन का कोई ताल्लुक नहीं है, उन के बारे में वह उतना ही जानती है कि जितना की हम जानते हैं, लेकिन वह उन मिनिस्ट्रोज की डिमांड्स को पायनट कर रही है। उन को तो खजाने से पैसा देना है। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीभर्ता सुगोष्ठा रोहतगी) सभापति महोदय मैं सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। जैसा की माननीय श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा था कि रक्षा बन्धन आज है या कल है और उस भावना के आधार पर उन्होंने मेरी आलाचना को उसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैं यह अवश्य चाहती थी कि कम से कम राजनीति को वह इम के बीच में न लाते (ध्यक्षान) सदन भी चाहता है कि और बहान भी चाहती है, पर हमारे मधु लिमेय जी कुछ उन्हे कहना था वह कह कर चले गये है और उन्होंने कुछ ऐसी चीज कह दी है कि उस का कुछ खटन करना या उसके विपरीत कुछ करना भी आवश्यक हो जाता है। मैं बैंजर्जी साहब का टो कह रही थी कि उन्होंने रक्षा बन्धन की पवित्र भावनाओं से हमें भी अति प्रोत्साहन पर उन्होंने भी कहा की यह सरकारी शायद कुछ बर्गिंग से ज्यादा विश्राम करती है और हमारे मिश्रा जी ने भी कुछ उसका नमर्शन किया। साथ साथ में यह भी कहा कि कुछ स्पाइंग भी ज्यादा करती है और शायद कुछ प्यत्र रचनी है या कुछ ऐसे यत्र बाहर में मगाय गये है जिन के माध्यम से वह चाहती है कि हर एक की या तो ज्वान बढ़ करदे या विरात्रियों का विरोध बढ़ कर दे, ऐसा कुछ प्रयाम करे। मुझे ऐसी किसी चीज का ध्यान नहीं है और न मैं इसने ज्यादा कुछ कहना ही चाहती हूँ। इतना अवश्य कहूंगी कि सरकार स्वतंत्रता

में विश्र्वास करती है और ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए वह तैयार नहीं होगी जिस से किसी प्रकार का चाहे वह विरोधी हो अपनी पार्टी का चाहे विरोधी हो बाहर का उस के ऊपर वह रोक लगाये जिस से कि अपने स्वतंत्र विचारों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी के सामने आये और विशेष कर आज जब की हम लोग स्वतंत्रता जैयती को समाप्त करने जा रहे हैं तो ऐसे अवसर पर आज कल की इन शुभ घडियों में तो हम और भी, ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे जिससे की स्वतंत्र विचार रखने में किसी के ऊपर कोई पाबन्दी आये। इस लिए मुझे थोड़ा सा इसका जिक्र करना पडा।

यहा कुछ खास-खास बातें लाई गईं। जैसा डागा साहब ने कहा बहुत सी चीज ऐसी हैं जिनका कि वित्त मन्त्रालय से सीधा संबंध नहीं है पर उनका खर्च वित्त मन्त्रालय द्वारा लाया गया है ठीक है, पर यह जो खर्च होना है वित्त मन्त्रालय के द्वारा भी उसकी एन एन चीज ताक्यायदा देखी जाती है। उस के तयनीने और सारी चीजे जितनी भी है उन का देखा जाता है। यह नहीं है कि मारी सारी चीजे वित्त मन्त्रालय से ऐसे ही पाम हा जाती है। बल्कि बहुत से लाग ता यह भी कहत है कि वित्त मन्त्रालय का नियंत्रण अधिक है, वित्त मन्त्रालय के नियंत्रण को कम करना चाहिए। इस पर लोग बहुत एतराज भी करत है कि इसका नियंत्रण ज्यादा है उसे कम करना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा आप ने और डग से बात रख दी।

श्रीभर्ता सुगोष्ठा रोहतगी मान्यवर सभी सदस्यों ने जो अपना दुब प्रकट किया वह वास्तविक है कि देश में इतनी कठिनाई

का समय है और खासकर दैवी प्रापदाओं से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कितने ही घर हमारे बर्बाद हो गए और इन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। इससे उनका कहना है कि किसी राज्य में ज्यादा धन दिया गया किसी-किसी में कम दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का विचार नहीं है। यह तो जो स्टडी टीम गई, उसने जो कुछ कहा देखा उसके मुताबिक यह सब कुछ है। पहले तो सिंगल भी लगी थी, अब तो वह सिंगल भी पिछले साल से हटा दी गई ..

श्री ब्रह्मचन्द्र डाभा आपकी तरफ से स्टडी टीम जाती है? (व्यवधान)
देने वाले आप ही होते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी स्टडी टीम हमारी तरफ से अवश्य जाती है पर वह तब जानी है जब राज्य सरकार की तरफ से उसकी मांग का जाती है। राज्य जब भागत है तब टीम भेजी जाती है। वह अपना अध्ययन करती है। उस अध्ययन दल में भी अपने वित्त मंत्रालय के मन्त्राधीन और मंत्रालय की उमम सम्मिलित रहते हैं।

अब आपने आकड़े बताए हैं कि महाराष्ट्र में ज्यादा गया, गुजरात में कम गया, बिहार में कम गया, हमारे उत्तर प्रदेश में कम गया। यह बहुत भी ऐसी चीज है कि जिनके आकड़े तो हैं पर इतना स्पष्ट है कि केवल आकड़ों के द्वारा ही यह बात माफ नहीं होती। अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग कठिनाइयाँ मानी हैं जिनके बहुत से कारण होते हैं जो सब इतने से ही पूरे नहीं होने। उत्तर प्रदेश के संबंध में जो कुछ हमारे भाई ने कहा था वह ठीक है, मैं जानती हूँ हम लोग भी वहाँ से आए हैं, इसी तरह से बिहार, राजस्थान, उड़ीसा आदि अनेक प्रदेश हैं

जहाँ कि बहुत पिछड़ापन है। उस पिछड़ापन को हटाने के लिए सरकार न बहुत से कदम उठाए हैं और बहुत से उठाने पड़ेंगे। पर वास्तविक अर्थों में इस दैवी प्रापदा से पिछड़ापन का कोई सीधा संबंध नहीं आता। यह चीज मैं अवश्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगी, पिछले साल करीब करीब 14 राज्यों में भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहाँ पर पानी का अभाव हुआ, सूखा पड़ा और उसके साथ-साथ बाद में बाढ़ भी आई। करीब 20 करोड़ लोगों के ऊपर कठिनाइयाँ आईं। तो जितने रुपये की जरूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वह राशि काफी नहीं थी। लेकिन फिर भी 86 लाख आरामी टेस्ट वर्क पर लगे हुए थे। एक लाख टेस्ट वर्क के ऊपर काम चल रहा है। वह जब समाप्त हो जायेगा तो उस से भी जो कठिनाइयाँ सामने आएँगी वह भी हमारे मसख है। यह एक बहुत बड़ी चीज थी जो हम ने की। हम ने पिछले वर्ष केवल 75 करोड़ रुपये रखे थे उस के लिए पर 75 करोड़ कम हुए और 216 करोड़ पिछले साल हम पर खर्च हुआ है। हम गाल समावना है कि शायद 200 करोड़ से ज्यादा का जरूरत पड़ेगी केवल इसी चीज के लिए। तो यह चीज तो आज पहली सप्लीमेंट्री डिमांड में सामने आई है और शायद जरूरत पड़े तो और भी आगों।

पे कमीशन की बात भी कही गई। तो यह कोई अन्तिम तो नहीं है। जैसा भी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार ने जो वायदा किया है वह चीज अभी भी उस के सामने है। मदन के सामने पे कमीशन के ऊपर पूरी चर्चा भी होने वाली है और कोई चीज यदि हममें नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपने वायदे से मुक्त रही है या इस प्रकार से उस पर विचार

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

करने का उस का कोई विचार नहीं है। इस शका का यह समाधान मैं अपने उत्तर में अवश्य करना चाहती हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी . मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमें शक इसलिए हुआ कि फाइनेस मिनिस्टर साहब ने कहा कि पे कमीशन की सिफारिशों को वह पार्लियामेंट के सेशन के चलते हुए ही एलान कर देंगे, पर इसमें क्योंकि पे कमीशन का कोई प्रावधान नहीं है इसलिये शक पैदा हुआ, तो क्या इसी सेशन में कोई प्रावधान किया जायेगा ?

समापति महोदय . आपने अपनी बात कह दी।

श्री एस० आर० दामाणी मैं ने सूडान से काटन न घाने के बारे में पूछा था .

श्रीमती सुशीला रोहतगी माननीय सदस्य ने सूडान के बारे में कहा था और मैं ने प्रयास किया कि थोड़ी बहुत उस के बारे में सूचना एकत्र करूँ। मैं उन्हें बनलाना चाहती हूँ कि सूडान से एक डेलीगेशन आ रहा है 20 अगस्त को। इन्हीं सब बातों के बारे में उस के साथ चर्चा होगी और विचार किया जायेगा। मेरा ख्याल है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है उस के बारे में अच्छी तरह से उस के साथ विचार कर लिया जायेगा।

थर्ड एशियन ट्रेड फेयर के बारे में नई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि जितना खर्च कहा गया था 5 करोड़ 83 लाख का उसके बजाय 8 करोड़ 54 लाख खर्च हुआ है। यह खर्च जरूर ज्यादा हुआ है। लेकिन उसका पूरा ब्योग उस में दे दिया गया है कि क्यों और किन कारणों से ऐसा हुआ। यह कहना लोगो का मही है कि जितना कहा गया था उससे ज्यादा खर्च हुआ है पर कई एक परिस्थितियाँ ऐसी आई थी जिन के

कारण ऐसा हुआ और उनका पूरा पूरा प्रकाश इसमें डाला गया है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यू० एस० एस० आर० के बारे में पूछा था कि क्या क्या चीजें वहाँ से इम्पोर्ट की जाती हैं। वह तो मान्यवर सभी को मालूम है जैसी स्टील है, फटिलाइजर, कैरोसीन है, न्यूक्लियर वॉटर है, ये चीजें वहाँ से इम्पोर्ट होती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर कोशिश की जाती तो इस में काफी बचत हो सकती थी। सरकार इस बात को खुद स्वीकार करती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना भी एफिशेंट क्यों न हो, उस में हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, बचत का और कटौती करने का। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पिछली दफा भी कुछ बचत करने की कोशिश की थी, पहले तो नान-प्लान एक्सपेन्डीचर को पटाने की कोशिश और अब की यह कदम आगे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि प्लान एक्सपेन्डीचर में भी कुछ कटौती की जाये उस में जिन चीजों को प्राथमिकता देनी है, उन को प्राथमिकता दी जाये, और ऐसे कार्य रोके न जायें लेकिन जो कार्य ऐसे हैं जिन को थोड़े दिन के लिए रोका जा सकता है उन को थोड़े दिनों के लिए टाला जाये। इस तरह में आशा की जाती है कि काफी रुपये की कटौती उस में हो सकती है सकेगी। इसके अतिरिक्त भी आप ने देखा है कि बचत तरह तरह से करने की कोशिश की गई है चाहे वह लघु बचत हो या या हमारे एग्जिसेंस हो इनवमेंट टैक्स वगैरह के, उन को भी वसूल करने में प्रयास चल रहे हैं। उस के अलावा निक्विटि जो हमारी है मार्केट की, उस के बारे में भी गिजर्व बैंक ने कई स्टेप उठाये हैं जिस से कि हमारी क्रेडिट भी रेस्ट्रिक्ट हो कार्य, सेनेक्टिव हो जाये, ऐसे कदम भी उठाये गये हैं और इन सारी चीजों का एक प्रभाव देश की अर्थ व्यवस्था

पर पड़ेगा। यह जो डिमांड आपके सामने रखी गई है यह एक सप्लीमेंट्री डिमांड है, इट इज भानली टु सप्लीमेंट दि डिमांड . . (ब्यवधान) . .

फल जो इस वक्त जलमग्न है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पानी को उलटना चाहिए, उस पानी को निकालने के लिये प्रयास किया जाता चाहिये मेरे पास वह पूरी योजना नहीं है। पर मैंने मीट्र इसी वक्त कहा है कि उसकी जानकारी प्राप्त की जाये और ऐसी कोई योजना है तो उसको लागू किया, जाये नहीं है तो उसके बारे में विचार किया जाये।

मुझे विश्वास है कि इन शब्दों के बाद हमारे सभी भाई वही रक्षावन्धन की भावना लेकर इस डिमांड को पास करेंगे।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) बनर्जी साहब ने एक सबाल उठाया था कि नये नोट छपेगे या नहीं, उस के बारे में मंत्री जी का उत्तर नहीं आया।

MR CHAIRMAN I will put before the House the motion in regard to the supplementary demands for grants. The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 11, 28, 35, 36 and 39.

The motion was adopted

16.21 hrs.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS
AND FAMILY PENSION FUND
(AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF LABOUR AND
REHABILITATION (SHRI RAGHU-
NATHA REDDY): Sir, I move*:

"That the Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and to incorporate an explanatory provision connected therewith in section 405 of the Indian Penal Code, be taken into consideration."

Sir, the hon. Members have been emphasising several times the necessity of bringing amendments to the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act and making the provisions of this enactment more stringent so that the employers who have to pay the provident fund do not easily get out and that the provisions may serve as a deterrent in order to see that the employers would obey the law and there would not be any defalcation as far as the monies that are due to the provident funds are concerned. The amending Bill is brought forward in this direction, and with your permission I shall place before the House the salient features of the Bill.

Under section 14 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, the penalties provided for defaults in the payment of provident fund dues are imprisonment upto six months or fine up to Rs 1,000 or both. The working of the Act and the Employees' Provident Funds Scheme has revealed that the present penal provisions of the Act and the Scheme are not effective in checking defaults in the payment of contributions to the Employees' Provident Fund or in the recovery of the dues on that account. The courts often take a lenient view of the defaults and award inadequate punishment. The result is that the amount of provident

*Moved with the recommendation of the President.